राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मूल्या बनाम चन्दा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/03/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
04/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी, विभाजन होन्डिंग, स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 343 रकबा 0.90 है., खसरा नम्बर 345 रकबा 0.03 है. गै. मु. चाह, खसरा नम्बर 346 रकबा 0. 78 है., खसरा नम्बर 342 रकबा 2.09 है. कुल किता 4 कुल रकबा 3.79 है. भूमि वाके ग्राम नागलपूरण तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है। सेटलमेन्ट से पूर्व वादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर 71 च 73 थे, जो भूमि एकीकरण के समय बनाये गये भूमि एकीकरण से पूर्व खसरा नम्बर 71 के साबिक खसरा नम्बर 187, 188 व 189 थे तथा खसरा नम्बर 73 के साबिक खसरा नम्बर 191 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा थे, जिसके 1/2 हिस्से की खातेदारी गोपाल वल्द रामदेव, तथा 1/2 हिस्से की खातेदारी श्रीला पुत्र श्योजी के नाम थी। वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदार श्रीला पुत्र श्योजी के कोई सन्तान नहीं थी। श्रीला ना-औलाद निर्वसीयत फौत हो गया। श्रीला वादी तथा प्रतिवादी सं. 2 के पिता तथा प्रतिवादी नम्बर 3, 4, 5, 6 के बाबा भागीरथ तथा प्रतिवादी सं. 1 के पिता काना का बड़ा भाई था। श्रीला का स्वर्गवास हो गया है। श्रीला का स्वर्गवास होने के पश्चात वादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 के पिता काना व वादी तथा प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 के पूर्वज भागीरथ के नाम अंकित होनी चाहिए थी। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 एक ही वंश व परिवार के व्यक्ति है, जिनका सजरा खानदान वाद पत्र के मद नम्बर 4 में अंकित है। श्रीला का स्वर्गवास होने के पश्चात प्रतिवादी सं. 1 जो काना का पुत्र है ने सरपंच ग्राम पंचायत बाडापदमपुरा व राज्य कर्मचारियों से साजिश कर इंतकाल सं० 23 दिनांक 24/05/64 को मूल्या पुत्र श्रीला के नाम से भराकर तस्दीक करा लिया। इंतकाल सं. 23 में सजरा खानदान बनाया गया, जिसकी अनदेखी कर सरपंच ने इंतकाल तस्दीक कर दिया। वादी तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 6 1/2 हिस्से की वादग्रस्त आराजी पर काबिज चले आ रहे है, दिनांक 26/05/06 को प्रतिवादी सं. 1 व उसके परिजनो ने वादी तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 6 को वादग्रस्त आराजी से जबरन बेदखल करने तथा आराजी का बेचान करने की धमकी दी तथा कहा कि वादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण मैने करा लिया राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मूल्या बनाम चन्दा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
83/2010		

है। वादी ने अपील संख्या 7/06 अदालत हाजा में प्रस्तुत की तथा अदालत ने अपने निर्णय दिनांक 30/08/2006 के तहत नामान्तकरण संख्या 23 खारिज कर दिया, जिसकी अपील न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर विचाराधीन है। दिनांक 14/04/07 को वादग्रस्त आराजी में खड़ बबूल के पेडो की लूम पातडी ले रहा था, तो प्रतिवादी संख्या 1 मय मददगारान के वादग्रस्त आराजी पर आया तथा लूम पातडी लेने से मना किया तथा भविष्य में बेदख करने तथा आराजी का हस्तान्तरण करने की धमकी दी तो वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम लोपित कर वादी तथा प्रतिवादी नम्बर 2 ता 6 को 1/4 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 हिस्सा यथावत किया जावें तथा वादग्रस्त आराजी का विभाजन कराया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर प्रतिवादी संख्या 2,3,4,5 की और से अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 1,7,8,10,11 की और से अधिवक्ता ने अंडरटेकिंग दी गयी परन्तु वकालतनामा व जवाब प्रतिवादी संख्या 1 की और पेश किया गया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 25/03/2010 पारित करते हुये वादी का वाद डिक्री फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं साक्ष्यो को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मूल्या बनाम चन्दा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	83/2010 अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 25/03/2010 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	